भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3598

सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

कृषि मजदूर

3598. श्रीमती रीती पाठक:
श्रीमती गीता कोडा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूमिहीन महिला और पुरुष कृषि मजदूरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) कृषि क्षेत्र में प्रति हजार कितनी महिलाएं और कितने पुरुष कार्यरत हैं;

(ग) राष्ट्रीय आय में ऐसे कार्य बल का योगदान कितना है; और

(घ) उक्त कार्य बल के लिए सरकार द्वारा क्या सामाजिक सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रम ब्यूरो ने पांचवां वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16 किया है। उक्त सर्वेक्षण के आधार पर जहां उपलब्ध सूचना में बताया गया है कि पुरूष और महिला के लिए सामान्य मूल स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 के आधार पर कृषि उद्योग द्वारा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के कामगारों में पुरुष और महिला कामगारों का प्रति 1000 वितरण अखिल भारतीय स्तर पर क्रमश: 417 और 601 है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि, वानिकी और मत्स्यनन कार्य के उद्योग में नियोजित पुरुष और महिला क्रमश: 40.24% और 56.99% है।

(ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्ष 2018-19 के प्रथम संशोधित राष्ट्रीय आय अनुमानों के अनुसार, चालू बुनियादी मूल्यों पर कृषि, वानिकी और मत्स्यन की आर्थिक गतिविधि के अनुसार बर्धित सकल मूल्य 17.1% है।

(घ): कृषि क्षेत्र में कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम की अपेक्षा है कि असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ; से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाई जाएं। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों का ध्यान आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से रखा जाता है। मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम के रूप में फरवरी, 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना का सूत्रपात किया है।

*****